रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 337] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 18, 1972/आषाढ़ 27, 1894
No. 337] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 18, 1972/ASADHA 27, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 18th July 1972

S.O. 491(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1968, namely:—

1. This Order may be called the Exports (Control) Eighth Amendment Order. 1972.

2. In the Exports (Control) Order, 1968, in Schedule I, Part A, the entire entry against item No. 18 shall be deleted and substituted by the following:—

18. Wild life (dead or alive or part thereof or produce therefrom, the following:—

(1) Deer—Black buck, Brown-antlared deer, Indian Swamp deer, Musk deer, Chital or spotted deer, Barking deer, Hog deer, Mouse deer, Nilgai or blue bull, four horned antelope, Indian gazelle, Kashmir stag, and Sambhar, but excluding horns specified in Part B of this Schedule.

(2) Caracal.
(3) Gibbons.
(4) Great Indian Bustard.
(5) Indian rhinoceros.
(6) Crocodile and Gharial.
(7) Indian Wild Ass.
(8) Gerdon's courser.
(9) Jungle-fowl, red and grey varieties.
(10) Lesser Panda.
(11) Lion.

(12) Markhor.
(13) Mountain quail.
(14) Pangolin.
(15) Pigmy hog.
(16) Pink-headed duck.
(17) Slender Loris and slow Loris.
(18) Spotted Linsang.
(19) Takin.
(20) Peasants, tragopan, monal and chir varieties.
(21) Urial.
(22) White Winged wood duck.
(23) All types of monkeys/langurs other than those specified elsewhere in this Schedule.
(24) All types of tigers, leopards and panthers.
(25) Lynx.
(26) Golden Cat, Rusty spotted cat, Leopard Cat, Fishing cat, Jungle Cat, Pallas cat, Marbled cat and Desert cat.
(27) Indian Python.
(28) Live Snakes (excluding Snake skins).
(29) Cobra, Krait, Viper, Echis and other snake venoms.
(30) Malabar civet.
(31) Otter.
(32) Water Lizards.
(33) Varanus Monitor (Common Lizard).
(34) Wild Buffalo.
(35) Dugong.
(36) Hispid hare.
(37) Binturong.
(38) Indian wolf.
(39) Giant squirrels.
(40) Malay or Sun Bear.
(41) Himalayan fox.
(42) Salamander.
(43) Ermine.
(44) Martens.
(45) Baya's eagles and fleons.
(46) Great Indian Hornbil and Narcondom hornbil.
(47) Lammergeier.
(48) Andaman Magapode.
(49) Peacock and its Neck heckles, crest feathers, etc., which are shed.

3. In the Exports (Control) Order, 1968, in Schedule I, Part B, the following entries shall be deleted:—

1(iii)(b)—Crocodiles.

1(iii)(p)—Water Lizards.

1(iii)(w)—Desert Cat.

4. In the Exports (Control) Order, 1968, in Schedule I Part A, the following entry shall be deleted:

23(a) Live Snakes.

(b) Cobra, Krait, Viper, Echis and other Snake Venoms.

5. In the Exports (Control) Order, 1968, in Schedule I, Part 'B' the following entries shall be deleted and substituted by the entries shown against each:—

1(iii)(r)—"Squirrel" shall be deleted and substituted by "Squirrels other than Giant Squirrels".

1(iii)(v)—"All types of Lizards, viz. Varanus Monitor (Common Lizard), Varanus Griseus (Agra Lizard), and Varanus Flavscens (Yellow-ovel spotted Lizard) but excluding Water Lizards" shall be deleted and substituted by "Lizards viz. Varanus Griseus (Agra Lizard) and Varanus Flavscens (Yellow-oval spotted Lizard)".

1(iii)(s)—"Fox" shall be deleted and substituted by "Fox other than Himalayan Fox".

[No. E(C)O,1968/AM(78).]

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1972

का० आ० 491(अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात्:—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) आठवां आदेश, 1972 की संज्ञा दी जाए।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश 1968 की अनुसूची 1, भाग ए में मद संख्या 18 के सामने की समस्त प्रविष्टि को हटाया जाए और निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए :—

18. निम्नलिखित वन्य जन्तु (मृत या जीवित या उनका भाग या उनका उत्पाद):—

1. मृग-काला नर मृग, धूरा,—श्रृगाभ मृग, भारतीय साबर, मृग, कस्तूरी मृग, चित्तल या चित्तीदार मृग, भूकने वाला मृग, पाढ़ा पिसूरी, नील गाय या नीला सांड, चौसिंगा मृग, भारतीय चिकारा, कश्मीरी बारहसींगा तथा सांभर, किन्तु इस अनुसूची के भाग बी में विष्टिकृत सींगों को छोड़कर।

2. स्याहगोश
3. गिब्बन
4. सोहन चिड़िया
5. भारतीय गैंडा
6. मगर और घड़ियाल
7. भारतीय गोरखर
8. जर्डनस कोरसर
9. जंगली-मुरगा मुरगी लाल और भूरे प्रकार के।
10. लेसर पांडा
11. सिंह
12. मारखोर
13. पहाड़ी बटेर
14. पैंगोलिन
15. बौने शूकर
16. गुलाबी सिरवाला बत्तख
17. स्लेंडर लारिस तथा स्लो-लारिस
18. चित्तीदार लिसेंग
19. टाकिन

20. पेजेन्ट ट्रैगोपान, मोनल और चीर प्रकार के ।

21. यूरियल ।

22. सफेद सपक्ष वूड डक ।

23. इस अनुसूची में जहां कहीं भी विशिष्टकृत किए गए हैं उनको छोड़कर सभी प्रकार के बंदर/लंगूर ।

24. सभी प्रकार के बाघ, तेंदुआ तथा चीता ।

25. बन बिलाव ।

26. सुनहरी बिल्ली, जंग के रंग की चितकबरी बिल्ली, तेंदुआ बिल्ली, मछली पकड़ने वाली बिल्ली, वन्य बिल्ली, पलास बिल्ली, मार्बल बिल्ली, और रेगिस्तानी बिल्ली ।

27. भारतीय अजगर ।

28. जीवित सांप (सांप की खाल शामिल नहीं हैं)

29. कोबरा, क्रेट, वाइपर, एचिस तथा अन्य विषैले सर्प ।

30. मालाबार सिवेट .

31. ऊद बिलाव .

32. जलीय छिपकली.

33. वारानस मानिटर (सामान्य छिपकली)

34. जंगली भैंस.

35. समुद्री गाय.

36. शबरा खरगोश ।

37. बिन्टूरांग

38. भारतीय भेड़िया

39. बड़ी गिलहरियां

40. मलय अथवा सन बीयर

41. हिमालयी लोमड़ी

42. सैलामैण्डर

43. एरमाइन.

44. मेटिन्स.

45. राया के गरूड़, और फ्लीन.

46. ग्रेट इंडियन हार्नबिल तथा नार्कोडम हार्नबिल.

47. लैम्मरगियर.

48. अन्दमन मेगापोड.

49. मोर तथा इसके नेक हैक्लस, क्रेस्ट, फीदर्स आदि जो फैले हुए हैं ।

3. निर्यात (नियंत्रण) आदेश 1968 की अनुसूची 1 के भाग बी में निम्नलिखित प्रविष्टियां हटाई जायेंगी ।

1(iii) (बी)—मगर.

1(iii) (पी)—जलीय छिपकली.

1(iii) (डब्ल्यू)—रेगिस्तानी बिल्ली.

4. निर्यात (नियंत्रण आदेश, 1968 की अनुसूची 1 के भाग ए में निम्नलिखित प्रविष्टियां हटाई जायेंगी ।

23. (ए) जीवित सांप .

(बी) कोबरा, क्रेट, वाइपर, एचिस, तथा अन्य विषैले सर्प ।

5. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 की अनुसूची 1 के भाग 'बी' में निम्नलिखित प्रविष्टियों को हटाया जाएगा और उन्हें उनके सामने दिखाई गई प्रविष्टियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

1(iii) (आर)—"गिलहरी" को हटाया जाए और उसे "बड़ी गिलहरी से भिन्न गिलहरियों" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए ।

1(iii) (वी)— सभी किस्म की छिपकलियां अर्थात् वारानस मानिटर (सामान्य छिपकली) वारानस ग्रिसेज (आगरा छिपकली) तथा वारानस फ्लेव्ससेन्स (यैलो-ओवल स्पाटिड छिपकली) को हटाया जाए किन्तु "जलीय छिपकलियों" को छोड़कर और इन्हें "छिपकली अर्थात् वारानस ग्रिसेज (आगरा छिपकली) तथा वारानस फ्लेस-सेन्स (यैलो—ओवल स्पाटिड छिपकली)" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए ।

1(iii) (एस)—"लोमड़ी" को हटाया जाए और "हिमालयी लोमड़ी से भिन्न लोमड़ी' द्वारा इसे प्रतिस्थापित किया जाए ।

[सं० ई० (सी०) ओ०, 1968/ए एम (78)]

एम०एम० सेन,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972